राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

Ex-1
30.10.2019

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

सुराना स्टेशनर्स

महिला आश्रम स्कूल के सामने,

भीलवाड़ा – 311 001

फोन – 224721

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 के अर्न्तगत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली) तथा संघ–विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :–

01. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम 1958 के अर्न्तगत ही मान्य होगा ।

02. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद सस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाये जा सकते है । पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते है।

03. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।

04. रिक्त स्थानो की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।

05. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।

06. संघ विधान पत्र मे क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमे कम से कम 15 आवेदक सदस्यो का होना अनिवार्य है।

07. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नही होने चाहिये।

08. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें ।

धारा - 20

09. **सोसाइटियां जिनका रजिस्टीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा** :– इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्टी की जा सकेगी अर्थात :–
पूर्व प्रयोजनो के लिये स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, 1(खादी और ग्रामोधोग), साहित्य विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रो और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलेरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनो और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्था रजिस्टीकरण अधिनियम, 1958 के अर्न्तगत रजिस्टेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एंव विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे ।

11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रूपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे ।

---

01. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा स्थापित किया गया ।

अध्यक्ष फोटो	मंत्री फोटो

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारियो के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा ।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा अध्यक्ष फोटो व मंत्री फोटो प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।

14. ग्राम, मोहल्ला, कोलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्ड़ल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षैत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये ।

15. ग्रामीण क्षैत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रिय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे ।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पत्रावली (फाईल) के रूप मे पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे ।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगें ।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों मे से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये ।

19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड़.एवं दो सदस्य ग्रैजूएट आवश्यक है।

20. अन्य संस्थाये जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रंबधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। 'परिवार' से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमे पति और पत्नि, उनके बच्चे और उक्त बच्चो जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो ।

22. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबध में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

23. अधिसूचना क्रमांक प. 4(5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29-1-1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओ के प्रत्येक रजिस्टेशन के लिये रजिस्टेशन शुल्क 250/- रूपये के स्थान पर 2500/- रूपये निर्धारित करती है।

24. अध्यक्ष व मंत्री के फोटो लगायी जावें ।

25. कार्यकारिणी सदस्यों के फोटो पहचान पत्र/राशनकार्ड की प्रति संलग्न करें ।

नोट :- रजिस्ट्रार संस्थाऐं द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाऐं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे ।

विद्या-कला, संस्कृति, शिक्षा एवं जनकल्याण समिति/~~सोसाइटी/संस्थान/संस्था~~
भीलवाड़ा

संघ विधान-पत्र

1. **इस संस्था का नाम** ...विद्या-कला, संस्कृति, शिक्षा एवं जन कल्याण ...समिति/सोसाइटी/संस्थान/~~संस्था~~ है व रहेगा ।
...समिति-भीलवाड़ा...

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय...2 वकील कोलोनी भीलवाड़ा ...है

तथा कार्यक्षैत्रः-...राजस्थान...

तथा इसका कार्यक्षेत्र...राजस्थान...क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3. **संस्था के उद्देश्यः**- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैः

अलग से संस्था के उद्देश्य संलग्न है।

1. ...संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य है।
2. ...(1) सभी प्रकार की शिक्षा, कला, संस्कृति व जन
3. ...कल्याण हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, अध्ययन, अभ्यास
4. ...के लिये केन्द्र, आवासादि स्थापित करना व उक्त प्रवृत्तियों
5. ...को प्रोत्साहित करने हेतु सभी सुविधाओं व व्यवस्थाओं के
6. ...लिये आवश्यक कार्य करना।
7. ...कला, संस्कृति, शिक्षा व जन कल्याण
8. ...के सर्वांगीण विकास कार्यों के लिये सेमिनार, परिचर्चा
9. ...कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, देश विदेश में टूर्स एवं ट्रेवल्स
10. ...व भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना एवं उक्त प्रवृत्तियों के
11. ...लिये प्रचार, प्रसार व मिडिया कार्यक्रमों के जरिये
12. ...आवश्यक जानकारी देना, पुस्तके, नोट बुक्स प्रकाशित
13. ...करना, वितरण करना।
14. ...(3) शिक्षा, कला, संस्कृति व जन कल्याण कार्यक्रमों
15. ...को प्रोत्साहित करने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय व अन्य

शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही हैं।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

4.संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है:–

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	उम्र	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	इंजि. गीता चौधरी पत्नी श्री अशोक चौधरी	36 वर्ष	गृहकार्य व्यापार	2 भील कॉलोनी भीलवाड़ा	अध्यक्षा
2.	इंजि- ब्रजेन्द्र चौधरी आत्मज हनुमान प्रसाद जी	28 वर्ष	शिक्षण कार्य	92A- शास्त्री नगर-भीलवाड़ा	मंत्री
3.	राम चन्द्र आत्मज श्री किशन लालजी जाट	75 वर्ष	एडवोकेट	2 भील कॉलोनी भीलवाड़ा	कोषाध्यक्ष
4.	प्रतीक्षा चौधरी पत्नी श्री राज कुमार चौधरी	32 वर्ष	गृहकार्य	2 भील कॉलोनी भीलवाड़ा	उपाध्यक्ष
5.	अनिता चौधरी पत्नी स्व. श्री गोपाल लालजी	40 वर्ष	राजकीय सेवा M.A. B.Ed	2 भील कॉलोनी भीलवाड़ा	सहसचिव
6.	आशा चौधरी पत्नी श्री चिरंजीत चौधरी	30 वर्ष	गृहकार्य	2 भील कॉलोनी भीलवाड़ा	सदस्य
7.	अनिता देवी चौधरी पत्नी श्री गजेन्द्र चौधरी	27 वर्ष	गृहकार्य	92A. शास्त्री नगर भीलवाड़ा	सदस्या
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15					

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

5

(4) शिक्षा, कला व संस्कृति के कार्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाने हेतु रोजगार प्रेरित कार्यक्रम बनाना। कैरियर सम्बन्धित सभी गतिविधियां आयोजित करना।

(5) मेधावी छात्रो, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु छात्रवृत्तियां देना, दस्तकारी, कम्प्यूटर शिक्षा, हेण्डी क्राफ्ट्स, शिल्प कोटेज, व छोटे उद्योगों को स्थापित व संचालित करना।

(6) इंजिनियरिंग, विज्ञान, मेडिकल, लेखा व अन्य सभी विधाओं की परिक्षाओं मे सफलता दिलाने के लिये समुचित प्रशिक्षण व शिक्षा संस्थान स्थापित करना।

(7) राज्य व संघ लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न परिक्षाओं मे बैठने वाले परिक्षार्थियों हेतु अपेक्षित सुविधा युक्त अध्ययन हेतु के शिक्षण संस्थान स्थापित करना, राज्य व संघ की सरकारी नियंत्रित कम्पनियों और निगमों के लिये, राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय कम्पनियो मे रिक्त पदो को भरने हेतु समुचित प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

(8) राज्य व केन्द्र द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयो और महाविद्यालयो के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट डिग्री व डाक्टरेट की उपाधि दिलाने हेतु विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सुविधाऐ व प्रशिक्षण प्रदान करना।

(9) शिक्षा, कला, संस्कृति एव जन कल्याण व पर्यावरण मे कार्यरत संस्थाओं को सभी प्रकार का सहयोग देना व उनसे लेना एव उनके कार्यक्रमों मे सहभागिता व साझेदारी रखना।

(10) तत्सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक कार्य करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति मे कोई लाभ निहित नहीं

[signature] अध्यक्ष   [signature] मंत्री   [signature] कोषाध्यक्ष

5.हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप मे गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है:-

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	उम्र	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	Smt Geeta Choudhary W/o Sh Ashok Kumar Choudhary	36 वर्ष	BUSINESS	2, Vakil colony Bhilwara	[signature]
2.	AMITA DEVI W/o SH GAJENDRA CHOUDHARY	27 वर्ष	SERVICE	92A SHASTRI NAGAR BHILWARA	अमिता देवी
3.	KAVITA DEVI W/o SH BRAJENDRA CHOUDHARY	25 वर्ष	SERVICE	92A SHASTRI NAGAR BHILWARA	कविता देवी
4.	VIDYA DEVI W/o SH RAM CHANDRA CHOUDHARY	73 वर्ष	HOUSE-WIFE	2, VAKIL COLONY BHILWARA	विद्या देवी
5.	ASHOK KUMAR CHOUDHARY S/o SH RAMCHANDRA CHOUDHARY	38 वर्ष	Service	2, Vakil colony Bhilwara	[signature]
6.	BRAJENDRA CHOUDHARY S/o SH HANUMAN PRASAD BAJIA	30 वर्ष	Service	92-A, Shastrinagar Bhilwara	[signature]
7.	RAJKUMAR CHOUDHARY S/o SH RAM CHANDRA CHOUDHARY	35 वर्ष	SERVICE	2, Vakil colony Bhilwara	[signature]
8.	PRATIKSHA CHOUDHARY W/o SH RAJKUMAR CHOUDHARY	32 वर्ष	HOUSE WIFE	2, VAKIL COLONY BHILWARA	प्रतीक्षा चौधरी
9.	Chiranjilal Choudhary S/o Shri Ramchandra चिरंजीत चौधरी S/o SH RAMCHANDRA CHOUDHARY	30 वर्ष	SERVICE	2, VAKIL COLONY BHILWARA	चिरंजीत चौधरी
10.	ASHA CHOUDHARY W/o SH CHIRANJEET CHOUDHARY	30 वर्ष	HOUSEWIFE	2, VAKIL COLONY BHILWARA.	आशा चौधरी
11.	Gajendra Choudhari S/o Sh. Hanuman Prasad Bajaj	32 वर्ष	SERVICE	92-A SHASTRI NAGAR	Gajendra
12.	Sangeeta Choudhari W/o Sh. Hanuman Prasad Bajaj	50 वर्ष	HOUSEWIFE	92-A SHASTRI NAGAR	संगीता
13.	LAXMANLAL JAT S/o SH HEERA LAL JAT	50 वर्ष	SERVICE	Jahawar Nagar Bhilwara	[signature]
14.	RAJKUMAR CHOUDHARY S/o SH LAXMAN LAL JAT	25 वर्ष	SERVICE	JAHAWAR Nagar Bhilwara	[signature]
15	Smt SOHANI DEVI W/o SH LAXMANLAL JAT	48 वर्ष	HOUSEWIFE	Jawahar Nagar Bhilwara	सोहनी
16	Smt REKHA CHOUDHARY W/o SH RAJKUMAR CHOUDHARY	23 वर्ष	HOUSEWIFE	Jawahar Nagar Bhilwara	रेखा
17	Ram Chandra S/o Shri Kishan Lal Jat	75 वर्ष	Advocate	2 Vakil Colony Bhilwara	[signature]

[signature] अध्यक्ष   [signature] मन्त्री   [signature] कोषाध्यक्ष

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	उम्र	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
16.	X				
17.	X				
18.	X				
19.	X				
20.	X				
21.	X				
22.	X				
23.	X				
24.	X				
25.	X				
26.	X				
27.	X				
28.	X				
29.	X				
30.	X				
31.	X				

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

9

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	उम्र	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
32.	x				
33.	x				
34.	x				
35.	x				
36.	x				
37.	x				
38.	x				
39.	x				
40.	x				

(1) संस्था का पंजीयन क्रमांक 133 / भीलवाड़ा / 2003-04
(2) संस्था का नाम ... जन कल्याण समिति भीलवाड़ा
(3) किस्म दस्तावेज़ संघ विधान पत्र
(4) दस्तावेज़ की संख्या 05
(5) दिनांक पंजीयन 9.12.03
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार संस्थायें, भीलवाड़ा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

(साक्षी)

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्णपता)

दिनेश सामरिया एडवोकेट

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष

ATTESTED Notary Public BHILWARA (Raj.)

मन्त्री

ATTESTED Notary Public

कोषाध्यक्ष

.... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम** इस संस्था का नाम विद्या - कला, संस्कृति, शिक्षा एवं जन कल्याण समिति .... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा ।

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 2 वकील कॉलोनी - भीलवाड़ा .... है

तथा कार्यक्षैत्रः- राजस्थान

तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान .... क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैः-

1. संस्था के उद्देश्य अलग से संलग्न है।
2. संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है।
3. (1) सभी प्रकार की शिक्षा, कला, संस्कृति व जन कल्याण
4. हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, अध्ययन, अभ्यास हेतु
5. शिक्षा केन्द्र, छात्रावास स्थापित करना, उक्त प्रवृतियो
6. के लिये आवश्यक कार्य करना।
7. (2) कला संस्कृति, शिक्षा व जन कल्याण के
8. सर्वांगीण विकास कार्यों के लिये सेमिनार, लेक्चर्स, कार्य-
9. शाला, प्रदर्शनियां, देश विदेश मे टूर्स एवं ट्रेवल्स व
10. भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना एवं उक्त प्रवृतियो के लिये
11. प्रचार, प्रसार व मिडिया कार्यक्रमो के जरिये आवश्यक
12. जानकारी देना, पुस्तके, नोट बुक्स प्रकाशित करना, वितरण करना
13. (3) शिक्षा, कला, संस्कृति व जन कल्याण कार्यक्रमो
14. के हेतु, शिक्षित करने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय व अन्य
15. शिक्षण संस्थाऐ स्थापित करना।

उपरोकत उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

(4) शिक्षा, कला व संस्कृति के कार्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाने हेतु रोजगार प्रेरित कार्यक्रम बनाना। कैरियर सम्बन्धित सभी गतिविधियां आयोजित करना।

(5) मेधावी छात्रों, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु छात्रवृत्तियां देना, दस्तकारी, कम्प्यूटर शिक्षा, हैण्डीक्राफ्ट्स, शिल्प को तेज, व छोटे उद्योगों को स्थापित व संचालित करना।

(6) इंजिनियरिंग, विज्ञान, मेडिकल, सेना व अन्य सभी विधाओं की परिक्षाओं मे सफलता दिलाने के लिये समुचित प्रशिक्षण व शिक्षा संस्थान स्थापित करना।

(7) राज्य व संघ लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न परिक्षाओं मे बैठने वाले परिक्षार्थियों हेतु अपेक्षित सुविधा युक्त अध्ययन हेतु के शिक्षण संस्थान स्थापित करना, राज्य व संघ की सरकारी नियंत्रित कम्पनियों और निगमों के लिये, राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय कम्पनियो मे रिक्त पदो को भरने हेतु समुचित प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

(8) राज्य व केन्द्र द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयो और महाविद्यालयो के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट डिग्री व डाक्टरेट की उपाधि दिलाने हेतु विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सुविधाए व प्रशिक्षण प्रदान करना।

(9) शिक्षा, कला, संस्कृति एव जनकल्याण व पर्यावरण मे कार्यरत संस्थाओ को सभी प्रकार का सहयोग देना व उनसे लेना एव उनके कार्यक्रमो मे सहभागिता व साझेदारी रखना।

(10) तत्सम्बन्धित उद्देश्यो की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक कार्य करना।

उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति मे कोई लाभ निहित नहीं।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता:– **निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :**

1. सस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो ।
2. बालिग हों ।
3. पागल, दीवालिये न हों ।
4. संस्था के उद्देश्यो मे रूचि व आस्था रखते हों ।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों ।

5. सदस्यों का वर्गीकरण:– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :–

1. ~~संरक्षक~~
2. ~~विशिष्ट~~
3. ~~सम्माननीय~~
4. साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क व चन्दा :– उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :–

1. संरक्षक राशि.....x.....वार्षिक/आजन्म
2. विशिष्ट राशि.....x.....वार्षिक/आजन्म
3. सम्माननीय राशि.....x.....वार्षिक/आजन्म
4. साधारण राशि..पांच सो रुपया..~~वार्षिक/आजन्म~~

उक्त राशि एक मुश्त ~~अथवा रू~~.....

~~की मासिक की दर से~~ जमा कराई जा सकेगी ।

7. सदस्यता से निष्कासन:– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग-पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

8. साधारण सभा :– संस्था के उपनियम संख्या 5 मे वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें ।

9. साधारण सभा के :– अधिकार और कर्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :–

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना ।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10.साधारण सभा

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्कता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कौरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी ।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक मे कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा मे थे ।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यो में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वेधानिक व सर्वमान्य होंगे ।

11.कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष : एक
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव : एक
4. कोषाध्यक्ष
5. सह सचिव :
6. सदस्य

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अकिंत करे । कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पांच पदाधिकरी व दो सदस्य कुल सात सदस्य होंगे ।

12.कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा ।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/~~अप्रत्यक्ष~~ प्रणाली द्वारा किया जावेगा ।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी ।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

13.कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्यः– **संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होग**

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना ।
2. वार्षिक बजट तैयार करना ।
3. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भतों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना ।
4. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना ।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना ।

14.कार्यकारिणी की बैठकें :–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल सख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः ७ दिन पूर्व दी जावेगी । तथा आत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व ऐजेण्डा मे थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिती अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य **संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगें**

1.अध्यक्ष

1. बैठको की अध्यक्षता करना ।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
3. बैठकें आहूत करना ।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।
5. सचिव तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

2.उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारो का प्रयोग करना ।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारो का उपयोग करना ।

3.सचिव

1. बैठके आहूत करना ।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।
3. आय-व्यय पर नियंत्रण कराना ।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की और से हस्ताक्षर करना ।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

4.सहसचिव

1. मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।
2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें ।

अध्यक्ष **मन्त्री** **कोषाध्यक्ष**

5.कोषाध्यक्षः
1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना ।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना ।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
4. अन्य प्रदत कार्य सम्पन्न कराना ।

(1) संस्था का पंजीयन क्रमांक 133/ भीलवाड़ा/ 2003-2004
(2) संस्था का नाम विधा, कला, संस्कृति, शिक्षा एवं जन कल्याण समिति भीलवाड़ा
(3) विवरण विधान नियमावली
(4) दस्तावेज की संख्या 05
(5) दिनांक पंजीयन 9-12-03
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार
संस्थायें, भीलवाड़ा

16. संस्था का कोष — संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–
1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी
2. अध्यक्ष/सचिव/ कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के सयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन सभंव होगा ।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकारः– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–
1. अध्यक्ष Rs. 5000/- पांच हजार रू.
2. सचिव Rs. 2000/- दो हजार रू.
3. कोषाअध्यक्ष Rs 2000/- दो हजार रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रंबधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा । अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी ।

रजिस्ट्रार संस्थायें सत्यमेव जयते भीलवाड़ा

18. संस्था का अंकेक्षण — संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा । वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होगें ।

19. संस्था के विधान मे परिवर्तन — संस्था के विधान मे आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा सशोंधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

20. संस्था का विघटन — यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी । लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी । रजिस्ट्रार संस्थाए को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

21. संस्था के लेखे जोखे — **रजिस्ट्रार संस्थाए भीलवाड़ा को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा दिये गये सुझावों की पालना की जायेगी ।**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) विधा – कला, संस्कृति - शिक्षा एवं जन कल्याण समिति - भीलवाड़ा की सही व सच्ची प्रति हैं।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष